UPMH010036472026

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, महराजगंज।

उपस्थितिः– संजय मिश्र, उच्चतर न्यायिक सेवा, (जे0 ओ 0 कोड यू0 पी0 6257)

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1189/2026

दिलदार पुत्र चन्दन उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम रूद्रपुर, थाना खजनी, जनपद गोरखपुर

––––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य ––––विपक्षी

मु०अ०सं० 327/2025

धारा 318 (4), 3 (5) भारतीय न्याय सहिता

थाना कोतवाली, जिला–महराजगंज।

11.08.2026 **निर्स्तारण प्रथम जमानत प्राथनापत्र**

1. प्रार्थी/अभियुक्त **दिलदार** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम जमानत हेतु संस्थित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार "वादिनी मुकदमा रोडवेज के बगल में फिजियो थेरेपी कराने गयी थी, वहां से वापस आ रही थी की रास्ते में दो लोग मिले तथा दुःख परेशानी की बात करने लगे, वादिनी इन लोगों के झांसे में आ गयी और उनके कहे के अनुसार अपने शरीर पर जो गहने पहनी थी, जिसमें मंगलसूत्र, सोने की अंगुठी, चांदी की अंगुठी, कान की बाली अपने पर्स में रख ली तब एक लड़के ने कहा कि पर्स इनको दे दीजिए इस प्रकार ये लोग पर्स लेकर भाग गये, इस प्रकार वादिनी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर उक्त मुकदमा दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुआ।"

3. मैंने उभयपक्षों के तर्कों को सुना तथा पत्रावली व थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में तर्क दिया है कि "प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है कोई जुर्म नहीं किया है फर्जी तरीके से उपरोक्त मामले में फंसा दिया गया है। तथाकथित अपराध में आरोपित धारायें तत्वों के अभाव में आयत नहीं होती है। तथाकथित मुकदमा अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है प्रार्थी उक्त मामले में नामजद नहीं है, प्रार्थी का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। प्रार्थी न तो मौके पर पकड़ा गया है और न ही प्रार्थी के पास से बरामदगी ही की गयी हैं। प्रार्थी अन्य मामले में गलत तौर पर निरूद्ध कर दिया गया था, उक्त मामले में प्रार्थी जमानत पर छूट गया था। इसी दौरान उपरोक्त अज्ञात मामले में प्रार्थी को संलिप्त दिखाकर आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया तथा एक अन्य गैंगेस्टर ऐक्ट का मामला दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी गैंगेस्टर ऐक्ट के मामले में आत्म समर्पण करके जिला कारागार में निरूद्ध है तथा उपरोक्त मामले की जानकारी होने पर उपरोक्त मामले में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराकर न्यायिक अभिरक्षा में होकर अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी की जमानत दरख्वास्त माननीय अधीनथ न्यायालय ने सरसरी तौर पर बिना गुण दोष का सम्यक परिशीलन किये ही निरस्त कर दिया है। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास वर्तमान मुकदमा एवं इसी दौरान दर्ज मुकदमों के अलावा नहीं है। उक्त मुकदमा के वावत प्रार्थी का

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा प्रार्थी का कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है और न ही बिचाराधीन ही है। प्रार्थी माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार माकूल जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। प्रार्थी काफी गरीब एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति है जिसके जेल में रहने से परिवार की जीविकोपार्जन बाधित होगी। प्रार्थी की जमानत दरख्वास्त स्वीकृत कर जमानत मोचलके पर रिहा किया जाना समीचीन है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की जमानत दरख्वास्त स्वीकार कर जमानत मोचलके पर रिहा करने की कृपा करें।"

5. राज्य की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी के अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि "अभियुक्त द्वारा कारित आपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। यदि अभियुक्त को जमानत दी गयी तो वह इसका दुरुपयोग कर सकता है। अतएव प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।"

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी का मंगलसूत्र, सोने की अंगुठी, चांदी की अंगुठी, कान की बाली लेकर भाग जाने का आक्षेप है। अभियुक्त के विरुद्ध धाराः 318(4), 3(5) बी०एन०एस० के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से ध्यान दिलाया गया है कि "वादिनी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के कथन में विरोधाभाष है तथा उक्त मुकदमा अज्ञात में दर्ज कराया गया है। वादिनी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति छल द्वारा हस्तगत की गयी है। प्रश्नगत मामले में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।" थाने से प्राप्त आख्या में अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक इतिहास का होना बताया गया है, परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई भी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह पता चलता हो कि आवेदक/अभियुक्त किसी मामले में दोषसिद्ध हुआ हो। अभियुक्त दिनांक 28.06.2026 के जिला कारागार में निरुद्ध है। ऐसी दशा में प्रश्नगत मामले के सम्पूर्ण परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामले में गुणदोष पर राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

7. प्रार्थी/अभियुक्त **दिलदार** द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०अ०सं० 327/2025 अन्तर्गत धारा 318(4), 3(5) भारतीय न्याय सहिता थाना कोतवाली, जिलाः महराजगंज में अभियक्त द्वारा मु0–50,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल किये जाने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर अवमुक्त किया जाता है–

1. यह कि अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी/न्यायालय द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी पूछताछ किये जाने के लिये स्वयं उपलब्ध होगा।
2. यह कि आवेदिक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यो से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को धमकायेगी नहीं तथा न ही अपने पक्ष में साक्ष्य देने के लिये विवश करेगा।
3. आवेदिक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुंज्ञा के बिना भारत सीमा नहीं छोड़ेगा।
4. अभियुक्त के जमानतदार के सत्यापन के आधार पर उसकी रिहाई आदेश रोकी नहीं जायेगा।

11.08.2026

(संजय मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01, महराजगंज।